रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 27

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 182] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर, 22, 1970/आश्विन 30, 1892

No. 182] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 1970/ASVINA 30, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October 1970

G.S.R. 1821.—The following Order made by the President is published for general information:—

THE DELIMITATION OF COUNCIL CONSTITUENCIES (BOMBAY) AMENDMENT ORDER, 1970

In exercise of the powers conferred by section 12 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the President, after consulting the Election Commission, is pleased to make the following Order further to amend the Delimitation of Council Constituencies (Bombay) Order, 1951, namely:—

1. This Order may be called the Delimitation of Council Constituencies (Bombay) Amendment Order, 1970.

2. In the Delimitation of Council Constituencies (Bombay) Order, 1951, in the Table below paragraph 2, for the existing entries relating to 'Maharashtra (Graduates)" under Graduates' Constituencies, "Greater Bombay-cum-Maharashtra (Teachers)" under Teachers' Constituencies and the existing entries against

S. Nos. 2, 3 and 11 under Local Authorities' Constituencies, the following entries shall be substituted, namely:—

Name of Constituency	Extent of Constituency	Number of seats
1	2	3
	"Graduates' Constituencies	
Maharashtra (Graduates) . .	Thana, Kolaba, Ratnagiri, Nasik, Dhulia, Jalgaon, Ahmednagar, Poona, Satara, Sangli, Sholapur, Kolhapur, Aurangabad, Parbhani, Bhir, Nanded and Osmanabad districts	2
	Teachers Constituencies	
Greater Bombay-*cum*-Maharastra (Teachers).	Greater Bombay, Thana, Kolaba, Ratnagiri, Nasik, Dhulia, Jalgaon, Ahmednagar, Poona, Satara, Sangli, Sholapur and Kolhapur districts	4
	Local Authorities' Constituencies	
2. Dhulia Local Authorities	Dhulia district	1
3. Jalgaon Local Authorities	Jalgaon districts	1
II. Sangli-*cum*-Satara Local Authorities	Sangli and Satara districts . . .	1".

V. V. GIRI,
President.

[No. F.7(17)/70-Leg.II.]
N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt. Secy.

विधि मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1970

सा० का० नि० 1821.—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मुम्बई) आदेश, 1970

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से परिषद् निर्वाचन

क्षेत्र परिसीमन (मुम्बई) आदेश, 1951 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मुम्बई) संशोधन आदेश, 1970 कहा जा सकेगा।

2. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मुम्बई) आदेश, 1951 में पैरा 2 के नीचे वाली सारणी में, स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र के नीचे "महाराष्ट्र (स्नातक)", शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र के नीचे "महाराष्ट्र सहित बृहत्तर मुम्बई (शिक्षक)," से सम्बन्धित वर्तमान प्रविष्टियों और स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र के नीचे क्रमांक 2, 3 और 11 के सामने की वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
1	2	3
	"स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र	
महाराष्ट्र (स्नातक)	थाना, कोलाबा, रत्नागिरि, नासिक, धुलिया, जलगांव अहमदाबाद, पूना, सतारा, सांगली, शोलापुर, कोल्हापुर, औरंगाबाद, परभनी, भीर, नन्देद और उस्मानाबाद जिले।	2
	शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र	
महाराष्ट्र सहित बृहत्तर मुम्बई (शिक्षक)	बृहत्तर मुम्बई, थाना, कोलाबा, रत्नागिरी, नासिक, धुलिया, जलगांव, अहमदनगर, पूना, सतारा, सांगली, शोलापुर और कोल्हापुर जिले।	4
	स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र	
2. धूलिया स्थानीय प्राधिकारी	धुलिया जिला	1
3. जलगांव स्थानीय प्राधिकारी	जलगांव जिला	1
11. सांगली और सतारा स्थानीय प्राधिकारी	सांगली और सतारा जिले	1"

वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति।

[सं० फा० 7(17)/70-विधायी(II)]

एन० डी० पी० नाम्बूदिरीपाद,
संयुक्त सचिव, ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970